संख्या-1180/2026/570/22-2-2026-17(269)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू यादव पुत्र स्व० रामलड़ैते, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-10410/प्रो०अनु०(2)-314/2026 (बैठक दिनांक-09.03.2026), दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू यादव पुत्र स्व० रामलड़ैते, जो ढकना लहिया, थाना-खुटार, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। दिनांक 14/15.10.2010 की मध्य रात्रि के बाद अभियुक्त ने अपनी पत्नी के चाल चलन के शक और घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी, 02 पुत्रियों एवं साली सहित 04 व्यक्तियों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने व पुत्र पर प्राण घातक हमला करने का अपराध कारित किया गया। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-93/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 25.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास / सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवनकाल में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 25.02.2026 तक अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 13 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 25.02.2026 तक 53 वर्ष 09 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09. 2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने के अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, बन्दी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 14/15.10.2010 की मध्य रात्रि के बाद अभियुक्त ने अपनी पत्नी के चाल चलन के शक और घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी, 02 पुत्रियों एवं साली सहित 04 व्यक्तियों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने व पुत्र पर प्राण घातक हमला करने का अपराध कारित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर 180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजू यादव पुत्र स्व० रामलड़ैते की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजू यादव (बन्दी संख्या-46612) पुत्र स्व० रामलड़ैते, निवासी जनपद- शाहजहाँपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1180/2026/570(1)/22-2-2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।